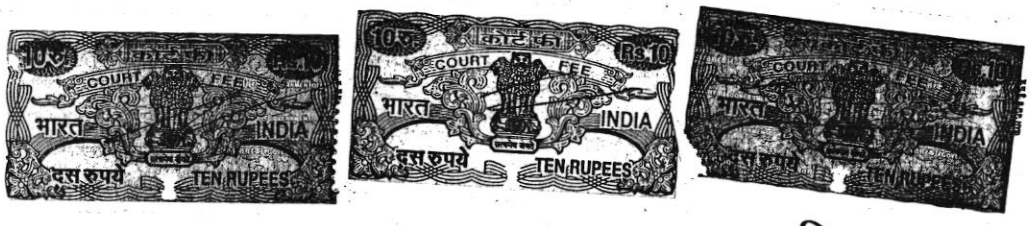

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. निगरानी I/निगरानी/छिंदवाड़ा/भू.रा./2017/2189

1. टीकाराम बागडी पिता बसंतलाल बागडी
2. कृष्ण गोपाल बाडी पिता बसंत लाल बागडी

दोनों निवासी ग्राम परतला जिला छिन्दवाड़ा

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. रमेश बागडी पिता स्व. बसंतलाल बागडी निवासी ग्राम परतला जिला छिन्दवाड़ा

.... मूल प्रतिप्रार्थी

2. श्रीमती अलका पति स्व. शरद कुमार
3. संजय पिता फूलचंद
4. संतोष पिता फूलचंद
5. रेवाराम बागड़ी पिता बसंतलाल बागडी
6. मसलती देवी पत्नि नंद किशोर विरह
7. श्रीमती मीराबाई लसकारी पति प्रकाश लसकरी
8. रतन लाल पिता ईश्वरदयाल
9. राजेन्द्र पिता ईश्वरदयाल
10. वीरेन्द्र पिता ईश्वरदयाल
11. अजय पिता ईश्वरदयाल

सभी निवासी ग्राम परतला तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा

12. ज्ञानबाई पिता बसंतलाल
13. श्रीमती पुष्पाबाई पति प्रकाश लसकरी

दोनों निवासी गड़रिया मोहल्ला दमोह तहसील एवं जिला दमोह

14. श्रीमती कुसुम बाई बेवा लखेराम बागड़ी
15. अजय कुमार बागडी पिता लेखराम बागडी

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभि. द्वारा आज दि. 12-7-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-7-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16. प्रमोद कुमार पिता लेखराम
17. राजाराम पिता लेखराम
18. राजा पिता लेखराम
19. कु. रोशनी पिता लेखराम
20. कु. सपना पिता लेखराम
21. विजय पिता प्रेमलाल बागडी
22. विनोद पिता प्रेमलाल बागडी
23. सविता पिता प्रेमलता बागडी
24. सुशीला पिता प्रेमलाल बागडी
25. गीता पिता प्रेमलाल बागडी

सभी निवासी मेनरोड गोलगंज छिन्दवाड़ा तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा

..... प्रतिप्रार्थीगण

म.प्र.भू.रा. संहिता की धारा 50 अंतर्गत माननीय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 1268/2012–13 अ–27 में पारित आदेश दिनांक 22.6.17 के निर्णय के विरुद्ध निगरानी।

प्रार्थीगणों की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यहकि, प्रार्थीगणें के स्वत्व, स्वामित्व, आधिपत्य की भूमि ग्राम परतला तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा में खसरा क्रमांक 6/3 रकवा 0.767 हेक्टेयर, 106/2 रकवा 2.783 हेक्टेयर सर्वे क्रमांक 108/2 रकवा 0.036 हेक्टेयर कुल रकवा 3.586 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा कराये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। उक्त बंटवारे के संबंध में पूर्व में जो कार्यवाही चली थी उक्त कार्यवाही से दुखी होकर प्रार्थीगणों ने माननीय अनुविभागीय अधिकारी छिन्दबाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण क्रमांक 136/2011–12 अ–27 है जिसमें पारित आदेश दिनांक 27.8.2013 के द्वारा प्रार्थीगणों की अपील निरस्त की गई थी उक्त आदेश के विरुद्ध प्रार्थीगणों ने अपर आयुक्त संभाग जबलपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण क्रमांक 1268/12–13 अ–27 है जिसमें पारित आदेश दिनांक 12.3.2016 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/2002–03 अ–27 में पारित आदेश दिनांक 28.5.07 को किये गये पारित आदेश को प्रकरण मूल न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रस्तावित किया कि जिन सहखातेदारों द्वारा अपनी भूमि का

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2189–एक/17 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02.01.18	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 1268/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–3–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक – 1 द्वारा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 1268/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12–3–16 में संशोधन हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 152 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत एक वर्ष से अधिक समय उपरांत आवेदन पेश किया गया । उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 22–6–17 द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश दिनांक 12–3–16 की कंडिका – 6 में " बटवारे के अनुसार खसरा नंबर 106/1 रकबा 1.934 हैक्टर टीकाराम को तथा खसरा नंबर 106/2 रमेश को प्राप्त हुआ था जो निर्विवाद है " के आगे निम्न शब्द " पर पूर्णरूपेण रमेश बागड़ी का अधिकार रहेगा एवं रमेश बागड़ी उक्त संपत्ति पर नाम दर्ज करा सकने के अधिकारी रहेंगे ।" बढ़ाये जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 152 सीपीसी सहपठित धारा 32 का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया है वह प्रचलन योग्य नहीं था, क्योंकि उक्त प्रावधान वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। धारा 152 के अधीन मात्र लिपिकीय एवं अंकगणितीय त्रुटियां ही सुधार हो सकती हैं ना कि स्वत्व के संबंध में दिए गए आदेश में कोई संशोधन या परिवर्तन । विवादित आदेश से प्रकरण का स्वरूप ही बदल गया है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

यह भी तर्क दिया गया कि धारा–32 भू–राजस्व संहिता के प्रावधान किसी प्रकरण के गतिशील होने पर एवं पक्षकार को कोई अन्य राहत उपलब्ध न होने की स्थिति में ही लागू होंगे जबकि आदेश दिनांक 12.03.2016 के विरुद्ध अनावेदक क्र. 1 को निगरानी या पुनरावलोकन होने का विकल्प उपलब्ध है।

उनके द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि प्रकरण में मूल आदेश दिनांक 12.03.2016 को पीठसीन अधिकारी श्री एस.के. उपाध्याय, अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया है जबकि विवादित आदेश श्री के.पी. राही, अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया है जो कि पुनरावलोकन की परिधि में आता है। अपने पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश का पुनरावलोकन राजस्व मंडल की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता है जबकि इस प्रकरण में पुनरावलोकन की कोई अनुमति राजस्व मंडल से प्राप्त नहीं की गई है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलाच्य आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक क्र. 1 की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में यह तर्क दिया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक क्र. 1 द्वारा एक अपील क्रमांक 1268/अ–27/2012–13 न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष संयुक्त रूप से प्रस्तुत की गई थी जिसमें न्यायालय ने आदेश दिनांक 12.03.2016 पारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया था कि बंटवारे के अनुसार खसरा नं. 106/1 रकवा 1.934 हे. टीकाराम को तथा खसरा नं. 106/2 रमेश को प्राप्त हुआ था, जो निर्विवाद है, किन्तु उक्त आदेश में त्रुटिवश यह दर्ज हो गया था कि शेष भूमि पर केवल तीन पुत्रों जिनने भूमि क्रय नहीं की थी उनके या उनके वारिसानों के नाम ही दर्ज करने के निर्देश दिए जाते हैं।

यह भी तर्क दिया गया है कि यह निर्विवाद है कि खसरा क्रमांक 106/2 की भूमि रकवा 4.18 एकड़ अनावेदक क्र. 1 को प्राप्त हुई थी तथा उसी भूमि पर अनावेदक क्र. 1 का आधिपत्य अपने पिता के समय से चला आ रहा है तथा आदेश दिनांक 12.03.16 के आदेश से संशय की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी तथा जिसका लाभ उठाकर आवेदकगण अनावेदक क्र. 1 की भूमि में हस्तक्षेप करने का

XXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2189–एक/17 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रयास कर रहे थे। उक्त संशय को समाप्त करने के लिए अनावेदक क. 1 द्वारा आदेश दिनांक 12.03.2016 में हुई त्रुटि का सुधारने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा उक्त आवेदन का निराकरण करते हुए विद्वान न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 22.06.2017 पारित किया गया है तथा उक्त आदेश के द्वारा खसरा कमांक 106/1 रकवा 1.934 हे. टीकाराम को तथा खसरा नं. 106/2 अनावेदक क. 1 रमेश को प्राप्त हुआ था तथा उक्त आदेशानुसार यह भी आदेश पारित किया गया है कि सर्वे क. 106/2 की भूमि पर पूर्णरूपेण रमेश बागडी का अधिकार रहेगा तथा रमेश बागडी उक्त सम्पत्ति पर नाम दर्ज करा सकने का अधिकारी रहेगा। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन धारा 152 सिविल प्रकिया संहिता सहपठित धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत पारित किया गया है जो आदेश पूर्णतः विधिवत आदेश है तथा वास्तविक स्थिति के अनुसार ही पारित किया गया आदेश है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्णतः असत्य आधारों पर यह जानते हुए कि बंटवारा दिनांकित 28.07.1987 पूर्णतः स्वीकृत बंटवारा है तथा उसी बंटवारे के आधार पर स्व0 बसंतलाल के शेष पुत्रों द्वारा अपने हिस्से में आयी भूमि/सम्पत्ति को विकय कर दिया गया है तथा उसी बंटवारे के आधार पर आवेदक टीकाराम एवं अनावेदक क. 1 रमेश का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुका है तथा आवेदक उक्त बंटवारे से विबंधित है तब ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 22.06.2017 को चुनौती दिए जाने का अधिकार आवेदकगण को शेष नहीं रह जाता है। आवेदकगण द्वारा उक्त अपील महज अनावेदक कमांक 1 को परे ाान करने के उद्धे य से की गई है जो निरस्ती योग्य है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं रिकार्ड का	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवलोकन किया । अभिलेख तथा आलोच्य आदेश के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने अपने पूर्वाधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 1268/अ–27/2012–13 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 12–3–16 में अनावेदक कमांक – एक द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 152 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर से संशोधन किये जाने के आदेश दिए गए हैं । उन्होंने आलोच्य आदेश द्वारा अपने पूर्वाधिकारी के आदेश की कंडिका – 6 में " बटवारे के अनुसार खसरा नंबर 106/1 रकबा 1.934 हैक्टर टीकाराम को तथा खसरा नंबर 106/2 रमे । को प्राप्त हुआ था जो निर्विवाद है " के आगे निम्न शब्द बढ़ाया गया है " पर पूर्णरूपेण रमेश बागड़ी का अधिकार रहेगा एवं रमेश बागड़ी उक्त संपत्ति पर नाम दर्ज करा सकने के अधिकारी रहेंगे ।" अपर आयुक्त द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 152 सहपठित धारा 32 के आवेदन पर से उक्त भाब्द आदे । में बढ़ाना पूर्णतया अवैधानिक कार्यवाही है क्योंकि संहिता की धारा 152 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत केवल लिपिकीय एवं अंकगणतीय त्रुटि को ही सुधारा जा सकता है आदेश में अन्य किसी प्रकार का सं ोधन नहीं किया जा सकता है और ना ही आदेश कोई शब्द घटाया या बढ़ाया जा सकता है । जहां तक संहिता की धारा 32 का प्रश्न है, संहिता की धारा 32 के प्रावधानों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब कोई अन्य प्रावधान न हों । चूंकि संहिता की धारा 51 में पुनरावलोकन के स्पष्ट प्रावधान हैं ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में धारा 32 का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है । यदि अनावेदक कमांक 1 आलोच्य आदेश में कुछ त्रुटि/कमी समझते थे उन्हें अपर आयुक्त के मूल आदेश के विरूद्ध या तो वरिश्ठ न्यायालय में अपील/निगरानी करना चाहिए था या वे पुनरावलोकन की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते थे । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त का जो आलोच्य आदेश है वह किसी भी दृष्टि से पुष्टि	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2189–एक/17 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	योग्य नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 1268/अ–27/2012–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 22–6–17 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है । (एम.गोपाल रेड्डी) प्रशासकीय सदस्य	